क्रम-संख्या–1(छ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

**लखनऊ, बुधवार, 8 जनवरी, 2025**

**पौष 18, 1946 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग**

संख्या यूपीईआरसी / सचिव / विनियमावली / 2025–008

लखनऊ, 8 जनवरी, 2025

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003)(जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे सक्षम करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व प्रकाशन के पश्चात, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतदद्वारा अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी / सचिव / विनियमावली, 2019 / 408, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण एवं पारेषण टैरिफ हेतु बहु वर्षीय टैरिफ) विनियमावली, 2019, अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी / सचिव / विनियम / 2020–082, दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण और पारेषण टैरिफ के लिए बहु वर्षीय टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी / सचिव / विनियमावली / 2022–668, दिनांक 4 जनवरी, 2022 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण और पारेषण टैरिफ के लिए बहु वर्षीय टैरिफ) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2022, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्:–

**1–संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

1.1–इस विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण और पारेषण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।

1.2–यह विनियमावली शासकीय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

**2–उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण एवं पारेषण टैरिफ हेतु बहु वर्षीय टैरिफ) विनियमावली, 2019 के विनियम 16 ''विद्युत खरीद लागत में हुई वृद्धि का निरूपण'' के प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:**

**16.1 ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना:–**

(1) इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिए ''ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार'' (एफपीपीएएस) का अर्थ है, आयोग द्वारा अनुमोदित बिजली आपूर्ति की लागत के संदर्भ में ईंधन लागत, बिजली खरीद लागत और पारेषण प्रभार में परिवर्तन के कारण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की लागत में परिवर्तन।

(2) ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना और बिल उपभोक्ताओं को लागू टैरिफ आदेश (नियामकीय छूट के शुद्ध, यदि कोई हो, आयोग द्वारा अनुमोदित) में परिभाषित दर पर स्वत:, नियामकीय अनुमोदन प्रक्रिया को पूरा किये बिना, मासिक आधार पर, विनियम–16.2 में दिए गए सूत्र के अनुसार, वार्षिक आधार पर, ट्रू–अप करने के अधीन, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जाये, किया जाएगा।

(3) ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना और प्रभारित वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, (n+3)वें महीने में,nवें महीने के दौरान ईंधन और बिजली खरीद की लागत और खरीदी गई बिजली के लिए अंत:राज्यीय और आंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार में वास्तविक बदलाव के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के

लिए, किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के लिए टैरिफ में बदलाव के कारण ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना और बिलिंग जुलाई महीने में किया जाएगा। इसी प्रकार यदि एफपीपीएएस किसी वित्तीय वर्ष के जनवरी के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के लिए है, तो इसे अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल में वसूल किया जाएगाः

परंतुक यह कि सकारात्मक एफपीपीएएस के मामले में, यदि वितरण लाइसेंसधारी किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति को छोड़कर, इस समय सीमा के भीतर, इन विनियम–16.1(4) में दी गई अधिकतम सीमा के अधीन, ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की पूरी गणना और प्रभार लगाने में विफल रहता है, तो ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार के कारण लागत की वसूली का उसका अधिकार जब्त कर लिया जाएगा और, ऐसे मामलों में, ट्रू–अप के समय ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार वसूलने का अधिकार भी जब्त कर लिया जाएगाः

परंतुक यह कि नकारात्मक एफपीपीएएस के मामले में, यदि वितरण लाइसेंसधारी इस विनियमावली–16.1(4) में दी गई अधिकतम सीमा के अधीन, इस समय–सीमा के भीतर ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की पूरी गणना करने और प्रभार लगाने में विफल रहता है, किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति को छोड़कर, ऐसे एफपीपीएएस को लाइसेंसधारी से ट्रू–अप के समय उसकी वहन लागत जो कि इस विनियमावली के अंतर्गत वहन लागत दर की 1.20 गुना होगी, के साथ वसूल किया जा सकेगा।

(4) मासिक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार दर (आयोग द्वारा अनुमोदित नियामकीय छूट, यदि कोई हो, के शुद्ध) के +/-10% या आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगाः

परंतुक यह कि ऐसी अधिकतम सीमा के कारण ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार में हुई कोई कम वसूली या अधिक वसूली का अग्रनयन होगा और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आगामी महीनों में इन विनियमों में दी गयी अधिकतम सीमा के अधीन समायोजित की जाएगी।

(5) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के रूप में वसूल किये गये राजस्व का इस विनियमावली के अनुसार विचाराधीन वर्ष के लिए बाद में ट्रू–अप किया जाएगा।

ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार के लिए उस वर्ष हेतु अधिक राजस्व की वसूली के मामले में, उसे लाइसेंसधारी से ट्रू–अप करने के समय उसकी वहन लागत के साथ वसूल किया जाएगा, जिसे इस विनियमावली के अंतर्गत वहन लागत दर के 1.20 गुना पर प्रभारित किया जाएगा और ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार के लिए राजस्व की कम वसूली को ट्रू–अप करने के दौरान वहन लागत के साथ इस विनियमावली के अंतर्गत वहन लागत दर पर प्रभारित किए जाने का अनुमोदन किया जायेगा।

यदि वितरण लाइसेंसधारी यह दर्शाता है कि एफपीपीएएस को दिये गये सिद्धान्त को लागू करके निर्धारित किया गया है और एफपीपीएएस की अधिक/कम राजस्व वसूली बिलिंग निर्धारकों में परिवर्तन या ट्रू–अप करने के समय आयोग द्वारा बिजली खरीद का अनुमोदन न दिए जाने के कारण है, तो इस विनियमावली के अंतर्गत वहन लागत दर लागू की जाएगी।

(6) वितरण लाइसेंसधारी सामान्य टैरिफ के ट्रू–अप करने के दौरान, किए गए व्यय और वसूल किए गए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार के बीच अंतर का विवरण, और आयोग द्वारा अपेक्षित विस्तृत संगणना और सहायक दस्तावेज, निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत करेगा।

(7) ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार तंत्र और इसकी वसूली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी द्वारा बिलिंग प्रणाली को इसे ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाए और एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली को लागू किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर–संचालन या उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता से निरपेक्ष एक समान बिलिंग प्रणाली हो।

(8) लाइसेंसधारी ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार सिद्धान्त, मासिक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना और ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की वसूली (स्वचालित और स्वीकृत अं ों के लिए अलग–अलग) सहित सभी विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और एक समर्पित वेब पते के माध्यम से उसे संग्रहीत करेगा।

16.2 **ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना के लिए सूत्रः–**

(1) सूत्रः–

निर्दिष्ट महीने के लिए मासिक FPPAS(%)= $\left\{\frac{(A-B)*C+(D-E)^{\$}+\text{समायोजन कारक}}{Z*ABR}\right\}$ X100%

$^{\$}$ की गणना उस स्थिति में की जाएगी जब अंतःराज्यीय या आंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार प्रति यूनिट के आधार पर नहीं है

जहाँ,

निर्दिष्ट महीने का अर्थ है वह महीना जिसमें ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती है। यह ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (n–3)वें महीने में आपूर्ति की गई बिजली के लिए टैरिफ में परिवर्तन के कारण है

A= (n–3)वें महीने में सभी स्रोतों से खरीदी गई कुल इकाइयाँ (किलोवाट घंटे में) हैं, जिनमें दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक बिजली खरीद शामिल हैं (वितरण लाइसेंसधारियों को जारी किए गए बिलों से लिया जाना है)

B= (n–3) वें महीने में सभी स्रोतों से बिजली की थोक बिक्री है। (किलोवाट घंटे में) = (प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक राज्य लोड प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किए जाने वाले अनंतिम खातों से लिया जाना है)।

C=वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत (ईंधन लागत में परिवर्तन सहित)=(n–3)वें महीने में सभी स्रोतों से वास्तविक औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (रु0/केडब्ल्यूएच) (गणना की गई) – वर्ष के लिए सभी स्रोतों से अनुमोदित औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (रु0/केडब्ल्यूएच) (नवीनतम उपलब्ध टैरिफ आदेश से लिया जाएगा)

D= (n–3) वें महीने में वास्तविक अंतःराज्यीय और आंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार, (ट्रांसको द्वारा डिस्कॉम को बिल से) (रुपये में)

E= (n–3)वें महीने के लिए पारेषण प्रभार की आधार लागत = (स्वीकृत पारेषण प्रभार/12) (रुपये में)

समायोजन कारक = ईंधन और बिजली खरीद लागत में परिवर्तन ((A-B)*C+(D-E)) (n-5) वें महीने के लिए–(n-5)वें महीने के लिए (n-2) वें महीने में एफपीपीएएस का उपयोग करके वसूल की गयी राशि।

Z= खुदरा उपभोक्ताओं को टैरिफ आदेश में nवें महीने के लिए अनुमोदित इकाई बिक्री केडब्ल्यूएच में या टैरिफ याचिका आयोग के समक्ष लंबित होने की स्थिति में टैरिफ याचिका में अनुमानित की गयी nवें महीने के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को केडब्ल्यूएच में बिक्री। यदि टैरिफ याचिका दायर नहीं की गई है, तो FPPAS प्रभारित नहीं किया जाएगा।

ABR= वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (रुपये/केडब्ल्यूएच में नवीनतम उपलब्ध टैरिफ आदेश से लिया जाएगा)

(2) उपर्युक्त "C" की गणना में उपयोग की गई वास्तविक बिजली खरीद लागत में विचलन निपटान तंत्र के कारण कोई भी प्रभार शामिल नहीं होगा। इसे राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रू–अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त "C" की गणना में प्रयुक्त वास्तविक विद्युत क्रय लागत में सहायक सेवाएं और सुरक्षा बाध्य आर्थिक प्रेषण प्रभार शामिल नहीं होंगे। इसे राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रू–अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

(4) ट्रू–अप के समय, स्वीकार्य विद्युत क्रय लागत का निर्धारण करते समय, आयोग द्वारा समय समय पर संशोधित यूपीईआरसी (मेरिट ऑर्डर प्रेषण और विद्युत क्रय का अनुकूलन) विनियमावली, 2021 को भी विचारित किया जायेगा।

3– **"अनुच्छेदक–खः मूल विनियमावली के "एक महीने के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना की प्रक्रिया" को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है;**

(1) मूल विनियमावली के अनुच्छेदक–ख के अन्तर्गत खंड (4) के उप–खंड (क) में, वाक्य "किसी अन्य पारेषण योजना के तत्वों के रखरखाव या निर्माण के लिए लिया गया शटडाउन" को वाक्य "आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पारेषण योजना के रखरखाव या नए तत्व के निर्माण या मौजूदा प्रणाली में नवीनीकरण/उन्नयन/अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए लिया गया विराम" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) मूल विनियमावली के अनुच्छेदक–ख के अन्तर्गत खंड (4) के उप–खंड (ख) के बाद एक नया उप–खंड (ग) निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

(ग) "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे और सीमा सड़क संगठन की परियोजना(ओं) के कारण पारेषण लाइन के विराम की स्थिति में एसएलडीसी द्वारा मानित उपलब्धता प्रदान की जा सकती है, जिसमें ऐसी पारेषण लाइन का स्थानांतरण या संशोधन या विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना या राज्य सरकार की कोई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना शामिल है, जिसे राज्य सरकार (ऊर्जा विभाग) की संस्तुति द्वारा समर्थित किया गया हो, जिसमें विशिष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि बुनियादी ढांचा परियोजना महत्वपूर्ण है और केवल राज्य विद्युत समिति (एसपीसी) द्वारा अनुमोदित विराम की अवधि है। एसएलडीसी, सम्बद्ध कार्य के लिए मानी गई उपलब्धता अवधि को उसके द्वारा उचित समझी जाने वाली अवधि तक सीमित कर सकता है":

परंतुक यह कि मानित उपलब्धता के अलावा, पारेषण लाइन के ऐसे विराम की प्रक्रिया में शामिल कोई अन्य लागत अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन नहीं की जाएगी।

इसके अलावा, ऐसी मानित उपलब्धता को केवल उस अवधि के लिए माना जाएगा, जिसके लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ता ऐसी पारेषण लाइन के विराम से प्रभावित नहीं होते हैं:

परंतुक यह कि एसपीसी, सीईए द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप विशयानुसार ऐसे स्थानांतरण या संशोधन कार्यों के लिए आवश्यक विराम अवधि पर विचार करेगा, ताकि मानित उपलब्धता अवधि का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिए न किया जाए।"

(3) मूल विनियमावली के अनुच्छेदक–ख के अन्तर्गत खंड (6) के बाद एक नया खंड (7) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(7) इस अनुच्छेदक–ख के खंड (5) और (6) के प्रयोजन के लिए जिस कटौती अवधि का अपवर्जन किया जा सकता है, उसे निम्नानुसार घोषित किया जाएगा:

(क) एसपीसी के सदस्य सचिव द्वारा अधिकतम एक महीने तक;

(ख) एसपीसी में निर्णय के बाद एक महीने से अधिक और तीन महीने तक;

(ग) आयोग द्वारा तीन महीने से अधिक जिसके लिए पारेषण लाइसेंस कटौती और बहाली समय सीमा को कम करने के लिए उठाए गए कदमों और कारणों के साथ आयोग से संपर्क करेगा।"

(4) मूल विनियमावली के अनुच्छेदक–ख के अन्तर्गत खंड (7) के बाद एक नया खंड (8) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(8) असंगतता की स्थिति में, ये विनियमावलियॉ, अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के संबंध में मानित उपलब्धता के संबंध में आयोग द्वारा जारी/पारित किसी अन्य विनियमावली या संहिता या आदेश के ऊपर अधिभावी होंगे।"

आयोग के आदेश द्वारा,
सुमीत कुमार अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग।

———

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

No. UPERC/Secy./Regulation/2025-008

*Dated Lucknow*, *January* 8, 2025

NOTIFICATION

IN exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission Tariff) Regulations, 2019 notified *vide* Notification No. UPERC/Secy./ (MYT for Distribution and Transmission) Regulations, 2019/408, dated September 23, 2019, as amended by the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission Tariff) (First Amendment) Regulations, 2020 notified *vide* Notification No. UPERC/Secy./ Regulations/2020-082, dated June 5, 2020 and Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2022 notified *vide* Notification No. UPERC/Secy./ Regulations/2022-668 dated January 4, 2022, namely: -

**1. Short title and commencement**

1.1 These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (MYT for Distribution and Transmission Tariff) (Third Amendment) Regulations, 2025.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official *Gazette* of the Uttar Pradesh Government.

**2. The provisions of Regulation 16 "Treatment of incremental Power Procurement Cost" of the MYT for Distribution and Transmission Tariff) Regulations, 2019 are replaced as hereunder:**

**16.1 Computation of fuel and power purchase adjustment surcharge:**

(1) For the purposes of these Regulations "Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge" (FPPAS) means the change in the cost of power, supplied to consumers, due to changes in Fuel cost, power purchase cost and transmission charges with reference to the cost of power supply approved by the Commission.

(2) Fuel and power purchase adjustment surcharge shall be calculated and billed to consumers on RATE as defined in the applicable Tariff Order (net of regulatory discount, if any, approved by the Commission), automatically, without going through the regulatory approval process, on a monthly basis, according to the formula,given in the Regulation-16.2, subject to true up, on an annual basis, as decided by the Commission.

(3) Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge shall be computed and charged by the distribution licensee, in (n+3)th month, on the basis of actual variation, in cost of fuel and power purchase and Inter & Intra-state Transmission Charges for the power procured during the $n^{th}$ month. For example, the fuel and power purchase adjustment surcharge on account of changes in tariff for power supplied during the month of April of any financial year shall be computed and billed in the month of July. Similarly, if FPPAS is for power supplied during January of any financial year it will be recovered in April of next financial year:

Provided that in case of positive FPPAS, if the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase adjustment surcharge in full, subject to the ceiling as provided in Regulation-16.1(4), within this timeline, except in case of any force majeure condition, its right to recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment surcharge shall be forfeited and, in such cases, the right to recover the fuel and power purchase adjustment surcharge at the time of true-up shall also be forfeited:

Provided that in case of negative FPPAS, if the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase adjustment surcharge in full, subject to the ceiling as provided in Regulation-16.1(4), within this timeline, except in case of any force majeure condition, such FPPAS would be recoverable from the licensee at the time of true up along with its carrying cost to be charged at 1.20 times of the carrying cost rate under these Regulations.

(4) The monthly fuel and power purchase adjustment surcharge shall not exceed +/-10% of RATE (net of regulatory discount, if any, approved by the Commission) or such other ceiling as may be stipulated by the Commission from time to time:

Provided that any under-recovery or over-recovery in the fuel and power purchase adjustment surcharge on account of such ceiling shall be carried forward and shall be adjusted by the Distribution Licensee in subsequent months subject to the ceiling given in Regulation.

(5) The revenue recovered on account of fuel and power purchase adjustment surcharge by the distribution licensee, shall be trued up later for the year under consideration as per these Regulations.

In case of excess revenue recovered for the year against the fuel and power purchase adjustment surcharge, the same shall be recovered from the licensee at the time of true up along with its carrying cost to be charged at 1.20 times of the carrying cost rate under these Regulations and the under-recovery of revenue against fuel and power purchase adjustment surcharge shall be allowed during true upalong with carrying cost to be charged at carrying cost rate under these Regulations.

In case the distribution licensee demonstrates that FPPAS has been determined by applying the formula and excess/lower revenue recovery against FPPAS is on account of change in billing determinants or disallowance of power purchase by the Commission at the time of true-up, simple carrying cost rate under these Regulations shall be applied.

(6) The distribution licensee shall submit such details, in the stipulated formats, of the variation between expenses incurred and the fuel and power purchase adjustment surcharge recovered, and the detailed computations and supporting documents, as required by the Commission, during true-up of the normal tariff.

(7) To ensure smooth implementation of the fuel and power purchase adjustment surcharge mechanism and its recovery, the distribution licensee shall ensure that the licensee billing system is updated to take this into account and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a

uniform billing system irrespective of the billing and metering vendor through interoperability or use of open source software as available.

(8) The licensee shall publish all details including the fuel and power purchase adjustment surcharge formula, calculation of monthly fuel and power purchase adjustment surcharge and recovery of fuel and power purchase adjustment surcharge (separately for automatic and approved portions) on its website and archive the same through a dedicated web address.

**16.2 Formula for Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge:**

(1) Formula:

$$\text{Monthly FPPAS for } n^{th} \text{ Month (\%)} = \left[ \frac{(A-B)*C+(D-E)^{\$}+ \text{Adj Factor}}{Z*ABR} \right] \text{ X 100\%}$$

$^{\$}$ Shall be computed in case inter-state or intra-state transmission charges are not on per unit basis

Where,

$n^{th}$ month means the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in tariff for the power supplied in $(n-3)^{th}$ month.

A= is Total units procured in $(n-3)^{th}$ Month (in kWh) from all Sources including Long-term, Medium-term and Short-term Power purchases (To be taken from the bills issued to distribution licensees)

B= is bulk sale of power from all Sources in $(n-3)^{th}$ Month. (in kWh) = (to be taken from provisional accounts to be issued by State Load Dispatch Centre by the $10^{th}$ day of each month).

C= is incremental Average Power Purchase Cost (including the change of fuel cost) = Actual Average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources in $(n-3)^{th}$ month (Rs./ kWh) (computed) - Approved Average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources for the year (Rs./kWh) (to be taken from the latest available Tariff Order).

D = Actual inter-state & intra-state Transmission Charges in the $(n-3)^{th}$ Month, (From the bills by Transcos to Discom) (in Rs.).

E=Base Cost of Transmission Charges for $(n-3)^{th}$ Month =(Approved Transmission Charges/12) (in Rs.).

Adj Factor = Change in Fuel and Power Purchase Cost (Calculated as (A-B)*C+(D-E)) for $(n-5)^{th}$ month – Amount recovered using FPPAS for the '$(n-5)^{th}$ month ' in the $(n-2)^{th}$ month

Z= Approved unit sales to retail Consumers in kWh for $n^{th}$ month as approved in the Tariff Order or the sales to retail Consumers in kWh for $n^{th}$ month projected in the Tariff Petition filed before the Commission in case Tariff petition is pending before the Commission. In case Tariff Petition has not been filed, FPPAS shall not be charged.

ABR=Average Billing Rate for the year (to be taken from the latest available Tariff Order in Rs./kWh).

(2) The Actual Power Purchase Cost used in computation of "C" above, shall exclude any charges on account of the Deviation Settlement Mechanism. This shall be adjusted through the true-up approved by the State Commission.

(3) The Actual Power Purchase Cost used in computation of "C" above, shall exclude Ancillary Services and Security Constrained Economic Despatch charges. This shall be adjusted through the true-up approved by the State Commission.

(4) At the time of True-up, while determining the admissible power purchase cost, the Commission shall also consider the extant UPERC (Merit Order Despatch and Optimization of Power Purchase) Regulations, 2021 as amended.

**3. The "Annexure-B: Procedure for calculation of Transmission System Availability Factor for a Month" of the Principal Regulations are amended as hereunder:**

(1) In sub-clause (a) of clause (4) under Annexure-B of the Principal Regulations, the sentence "Shutdown availed for maintenance or construction of elements of another transmission scheme." shall be *substituted* with the sentence "Shutdown availed for maintenance of another transmission scheme

or construction of new element or renovation/upgradation/ additional capitalization in an existing system approved by the Commission."

(2) New sub-clause (c) shall be added after sub-clause (b) of clause (4) under Annexure-B of the Principal Regulations as under:

(c) "Deemed availability may be provided by SLDC in case of Shutdown of a transmission line due to the Project (s) of National Highways Authority of India, Railways and Border Road Organization, including for shifting or modification of such transmission line or any other infrastructure project approved by Ministry of Power or any critical infrastructure project (s) of the State Government as backed by the recommendation of the State Government (Energy Department) highlighting that the infrastructure project is critical one and only the duration of shutdown as approved by the State Power Committee (SPC). SLDC may restrict the deemed availability period to that considered reasonable by it for the work involved;"

Provided that apart from the deemed availability, any other costs involved in the process of such shutdown of transmission line shall not be borne by the users of the intra-State transmission system:

Provided further that such deemed availability shall be considered only for the period for which users of the intra-State transmission system are not affected by the shutdown of such transmission line:

Provided also that SPC shall contemplate the shutdown period required for such shifting or modification works on case to case basis in line with the guidelines issued by CEA, if any, so that deemed availability period is not utilised for other than intended purposes."

(3) New clause (7) shall be added after clause (6) under Annexure-B of the Principal Regulations as under:

"(7) The outage period which can be excluded for the purpose of clause (5) and (6) of this Annexure-B shall be declared as under:

a. Maximum up to one month by Member Secretary, SPC;

b. Beyond one month and up to three months after the decision at SPC;

Beyond three months by the Commission for which the transmission license shall approach the Commission along with reasons and steps taken to mitigate the outage and restoration timeline."

(4) New clause (8) shall be added after clause (7) under Annexure-B of the Principal Regulations as under:

"(8) In case of inconsistency, these regulations shall override any other regulation or code or order thereof issued / passed by the Commission with regard to the deemed availability in respect of Intra-State transmission system."

By the order of the Commission,
SUMEET KUMAR AGARWAL,
*Secretary*,
U. P. Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 508 राजपत्र–2025–(1292)–588 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 15 सा0 ऊर्जा–2025–(1293)–100+500=600 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।
508 RPH 2025 (urja-2020-folder)- data 8e